



सं. 4/45/2017-दीपम-II-ए  
भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया (डीसीआईएल) के सामरिक विनिवेश के लिए सौदा सलाहकार की नियुक्ति - प्रस्ताव हेतु अनुरोध

**1. प्रस्तावना**

1.1 ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (डीसीआईएल) पोत परिवहन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की एक सूचीबद्ध कंपनी है। डीसीआईएल को वर्ष 1976 में स्थापित किया गया था। कंपनी में भारत सरकार की शेयरधारिता 73.47% है। वित्त वर्ष 2016-17 में कंपनी का कुल कारोबार 599.69 करोड़ रुपये था। 30.09.2017 की स्थिति के अनुसार कंपनी का निवल मूल्य 1547.57 करोड़ रुपये है।

1.2 निकर्षण और समुद्री विकास क्षेत्र में डीसीआईएल एक प्रधान संगठन है डीसीआईएल पूरी तरह से सुसज्जित है जिससे यह भारत और विदेश में अपने प्रयोक्ताओं के लिए सभी तरह की निकर्षण और संबंधित सेवाएँ प्रदान कर सकता है और राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसका प्रधान कार्यालय रणनीतिक तौर पर भारत के पूर्वी तट के विशाखापट्टनम में स्थित है। डीसीआईएल बड़े और छोटे पत्तनों, भारतीय नौसेना, मात्स्यकीय बंदरगाहों और अन्य समुद्री संगठनों के जलमार्गों में लगातार वांछित गहराई सुनिश्चित करने में सहायता करता है। इसके अलावा, यह भारत के 7500 कि.मी. लम्बे समुद्री तट पर, चाहे नई बंदरगाहों के सृजन में निर्माणगत निकर्षण हो या विद्यमान बंदरगाहों को गहरा करने या विभिन्न पत्तनों में अपेक्षित गहराई बनाए रखने के लिए रखरखाव निकर्षण हो, अनेक तरीकों से राष्ट्र को सेवा प्रदान करता है।

1.3 डीसीआईएल का पंजीकृत कार्यालय कोर-2, प्रथम तल, स्कोप माइनर, प्लॉट नं. 2ए और 2बी, लक्ष्मी नगर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर दिल्ली-110092 में स्थित है और इसका मुख्यालय ड्रेज हाऊस, पोर्ट एरिया, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में स्थित है। 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार कारपोरेशन में पिछले वर्ष 523 कर्मचारियों की तुलना में (तटीय और प्लवमान दोनों मिलाकर) 503 कर्मचारी हैं, जिनमें एमपीडब्ल्यूस, अनुबंधित अधिकारी और कू शामिल नहीं हैं।

1.4 कंपनी की वेबसाइट [www.dredge-india.nic.in](http://www.dredge-india.nic.in) है।

## 2. प्रस्ताव

भारत सरकार ने **ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (डीसीआईएल)** में भारत सरकार की 100% इक्विटी का, नीति आयोग द्वारा अनुशंसित विकल्प के अलावा सौदा सलाहकार की सलाह के साथ दो चरणीय नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से एक ही बार में सामरिक बिक्री के माध्यम से विनिवेश करने का "सैद्धांतिक" निर्णय लिया है। भारत सरकार परामर्शी सेवाएं प्रदान करने और सामरिक विनिवेश प्रक्रिया का प्रबंधन करने के लिए विख्यात पेशेवर परामर्शदायी फर्मों/निवेश बैंकरों, मर्चेंट बैंकरों, वित्तीय संस्थानों, बैंकों आदि में से सौदा सलाहकार नियुक्त करने का प्रस्ताव करती है।

## 3. सलाहकार का कार्यक्षेत्र

सलाहकार को सामरिक विनिवेश प्रक्रिया के सभी पहलुओं से संबंधित कार्य करना होगा जिसके परिणामस्वरूप सौदा सफलतापूर्वक संपन्न हो सके और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ सामरिक विनिवेश के तरीकों और समय के बारे में भारत सरकार को सलाह देना और सहायता करना; सामरिक बिक्री की प्रक्रिया के लिए अपेक्षित मध्यस्थों की आवश्यकता की सिफारिश करना; उपयुक्त विचारार्थ विषयों के संदर्भ में मध्यस्थों की पहचान और चयन में सहायता करना, सभी दस्तावेज जैसे कि आरंभिक सूचना ज्ञापन, गोपनीयता सूचना ज्ञापन, प्रस्ताव हेतु अनुरोध, गोपनीयता करार आदि तैयार करना; सौदे की संरचना तैयार करना; ईष्टतम बिक्री मूल्य की प्राप्ति हेतु उपायों का सुझाव देना; सामरिक बिक्री की स्थिति उजागर करना; बोलियां आमंत्रित करना और मूल्यांकित करना; संभावित खरीदारों को बातचीत के दौरान सहायता करना और पेशेवर तौर पर उनका मार्गदर्शन करना; बिक्री/अन्य करारों की रूपरेखा तैयार करना; और सतत आधार पर बिक्री पश्चात मामलों में सलाह देना शामिल है, परंतु ये यहीं तक सीमित नहीं हैं। विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- (i) **डीसीआईएल** के सामरिक विनिवेश की पद्धतियों और समय के बारे में भारत सरकार को सलाह देना तथा प्रत्येक गतिविधि के लिए अस्थायी समय-सीमा का संकेत देते हुए सामरिक विनिवेश प्रक्रिया के सफल कार्यान्वयन की एक विस्तृत संचालनात्मक स्कीम तैयार करना और प्रस्तुत करना।
- (ii) सौदे के लिए निम्नलिखित प्रासंगिक दस्तावेज तैयार करना जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु यहीं तक सीमित नहीं हैं :
  - (क) प्रारंभिक सूचना ज्ञापन जिसका आशय **डीसीआईएल** और उसके व्यवसाय के बारे में संभावित खरीदारों को जानकारी उपलब्ध कराना हो, ताकि वे अपनी रुचि की अभिव्यक्तियां भेज सकें।
  - (ख) गोपनीयता सूचना ज्ञापन जिसमें **डीसीआईएल** और उसके व्यवसाय के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल है।

- (iii) सौदे के लिए अपेक्षित और भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले विशेषज्ञ पेशेवर मध्यस्थों की पहचान करना और उनका चयन करने में भारत सरकार को सलाह देना और सहायता करना और सलाहकार द्वारा उनके कार्य में समन्वय स्थापित किया जाना।
- (iv) गैर प्रकटीकरण करार और अनुवर्ती संसूचना के निष्पादन को सुविधाजनक बनाने और बोलीदाताओं को परिसंपत्तियों तथा सौदे के बारे में सूचना उपलब्ध कराना।
- (v) सामरिक विनिवेश (बोली/नीलामी आदि के माध्यम से) की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना।
- (vi) ई- डाटा कक्ष की स्थापना करने में और उचित उधमिताकारी प्रक्रिया के सुचारु कार्यान्वयन में **डीसीआईएल** की सहायता करना।
- (vii) **डीसीआईएल** में भारत सरकार की इक्विटी के विनिवेश की स्थिति को उजागर करना ताकि संभावित क्रेताओं/खरीदारों/निवेशकों में रुचि पैदा की जा सके।
- (viii) संभावित खरीदारों से बोली आमंत्रित करने की एक पारदर्शी प्रक्रिया की व्यवस्था करना जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :
- (क) विज्ञापन/आरएफपी आदि तैयार करना और जारी करना तथा बोलीपूर्व बैठक और स्थलीय दौर की व्यवस्था करना।
- (ख) संभावित बोलीदाताओं के प्रश्नों का विश्लेषण करना और उनके उत्तर तैयार करना तथा बोली दस्तावेजों में, यदि अपेक्षित हो, आवश्यक संशोधन करना।
- (ग) संभावित खरीदारों/निवेशकों से बोलियां आमंत्रित करना और उनका मूल्यांकन करना तथा अपेक्षित दस्तावेज तैयार करना जिसके परिणामस्वरूप बातचीत हेतु बोलीदाताओं को संक्षिप्त सूचीबद्ध किया जा सके।
- (ix) संक्षिप्त सूचीबद्ध बोलीदाताओं के साथ बातचीत में सहायता करना।
- (x) डिस्काउंटेड कैश फ्लो, तुलनात्मक मूल्यांकन, परिसंपत्ति आधारित मूल्यांकन और तुलन-पत्र पद्धति जैसी पद्धतियों के आधार पर **डीसीआईएल** के मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए उचित आरक्षित मूल्य का दायरा निर्धारित करने में भारत सरकार की सहायता करना जिसमें विभिन्न पद्धतियों के गुण -दोषों को और साथ -साथ इस तथ्य को भी उजागर किया गया हो कि इन तीनों मूल्यांकनों में अनेक भिन्नताएं मौजूद हैं। आरक्षित मूल्य निर्धारित करने में सहायता करते समय परिसंपत्ति मूल्य निर्धारक की रिपोर्ट को भी ध्यान में रखना होगा। भारत सरकार के पास किसी अन्य एजेंसी से मूल्यांकन कराए जाने का विकल्प उपलब्ध होगा।
- (xi) सफल बोलीदाता के साथ परस्पर स्वीकार्य निबंधनों पर भारत सरकार की ओर से सौदे के निष्पादन के लिए अपेक्षित करार (शेयर खरीद करार, शेयरधारक करार आदि) तथा अन्य विधिक दस्तावेज तैयार करना और निष्पादित करना।
- (xii) विधिक अनुमोदन तथा जहां कहीं अपेक्षित हो, अनापत्तियां प्राप्त करने सहित लागू विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन और सौदे की समाप्ति तक प्रक्रिया में समन्वय और निगरानी सुनिश्चित करना।
- (xiii) सौदे के समापन में सहायता करना।

- (xiv) बिक्री पश्चात मामलों, यदि कोई हो, में सलाह देना।
- (xv) सौदे की सफल संपन्नता के लिए भारत सरकार द्वारा अपेक्षित कोई अन्य विश्लेषणीय और सौदा संबंधी सहायता प्रदान करना।
- (xvi) संरचनात्मक, विधिक, वित्तीय तथा प्रक्रियात्मक गतिविधियों, उचित उद्यमिता, दस्तावेज प्रारूपण, एजेंसियों/विनियामक प्राधिकरणों के पास दायर किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज तैयार करने और दायर करने, लागू नियमों और विनियमों के अनुसार औपचारिकताएं पूरी करने सहित सभी सहबद्ध गतिविधियों में सरकार की सहायता करना।

उपरोक्त विचारार्थ विषय संकेतात्मक हैं और प्रकृति में गैर-सीमित हैं। ऐसी कुछ प्रासंगिक सेवाएं हो सकती हैं, जिन्हें पूर्वोक्त कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया है, लेकिन यदि वे भारत सरकार द्वारा सलाहकार के संज्ञान में लाई जाएं तो वे विचारार्थ विषय का एक अभिन्न और अनिवार्य भाग होंगी।

#### **4. पात्रता**

4.1 बोलीदाता को एक सुविख्यात पेशेवर परामर्शदायी फर्म/निवेश बैंकर/मर्चेंट बैंकर/वित्तीय संस्थान/बैंक होना चाहिए, जिसके पास सामरिक विनिवेश, सामरिक बिक्री, एम एंड ए गतिविधियों/वैयक्तिक इक्विटी निवेश सौदे के लिए इसी प्रकार की परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने का कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो।

4.2 बोलीदाताओं द्वारा 01 अप्रैल, 2014 से 30 सितंबर, 2017 तक की अवधि के दौरान 1200 करोड़ रुपये या उससे बड़े आकार के कम से कम एक सामरिक विनिवेश, सामरिक बिक्री, एम एंड ए गतिविधियों/वैयक्तिक इक्विटी निवेश सौदे में सलाह दी गई हो, काम किया गया हो और उसे सफलतापूर्वक संपन्न किया गया हो।

4.3 इच्छुक पार्टियों को 'दोषसिद्धि हीनता' और 'टकराव हीनता' के संबंध में अनुबंध -1 में दिए गए प्रारूप के अनुसार एक शपथ-पत्र-सह-वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी।

#### **5. बोली-पूर्व बैठक**

एक बोली-पूर्व बैठक प्रस्ताव प्राप्त करने की अंतिम तारीख से पहले आयोजित की जाएगी। तारीख, समय और स्थान की जानकारी उचित समय पर दीपम की वेबसाइट (<http://dipam.gov.in>) पर डाल दी जाएगी। इच्छुक पार्टियां अपने प्रश्न नीचे पैराग्राफ 6 में दिए गए अनुसार बोली प्राप्त करने के लिए अधिकृत अधिकारी को ई-मेल से भेज सकती हैं।

#### **6. प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण**

6.1 प्रस्ताव को उसके प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ सं. का उल्लेख करते हुए और उन्हें क्रमबद्ध करते हुए निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत किया जाए :

(i) **लिफाफा 1 :**

- (क) बोलीदाता द्वारा बोली प्रस्तुतीकरण के लिए कंपनी /फर्म के पत्र शीर्ष पर व्याख्या पत्र जिसमें संलग्न दस्तावेजों की सूची हो और पृष्ठ सं. अंकित हो; संगठन की रूपरेखा जिसमें संविधान, स्वामित्व और व्यवसायिक गतिविधियों का पूरा ब्यौरा शामिल हो ; इसके साथ-साथ पिछले **तीन वर्षों** की विस्तृत वार्षिक रिपोर्टें या लेखापरीक्षित वित्तीय लेखे प्रस्तुत किए जाएं।
- (ख) प्रस्ताव तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए बोलीदाता के प्रतिनिधि को प्राधिकृत करने वाला प्राधिकार पत्र।
- (ग) **पैराग्राफ 4.3** के अनुसार बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र।
- (घ) बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाण-पत्र कि नियुक्ति की दशा में इस आरएफपी के **अनुबंध-2** के रूप में संलग्न मॉडल के अनुसार करार बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।
- (ङ) इस आशय का प्रमाण -पत्र कि यदि रुचि की अभिव्यक्ति में प्रदर्शित कार्यदल का कोई सदस्य, त्याग पत्र देने आदि के कारण उपलब्ध नहीं रहता है, तो दीपम की सहमति से समान योग्यता और अनुभव वाला दूसरा व्यक्ति उपलब्ध कराया जाएगा।
- (च) इस आशय का प्रमाण -पत्र कि सौदे हेतु नियुक्त दल में से सामरिक विनिवेश में एक विशेषज्ञ शामिल होगा; मूल्यांकन में एक विशेषज्ञ और सौदा दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने में एक विशेषज्ञ शामिल होगा। प्रमाण-पत्र का प्रारूप **अनुबंध-3** में दिया गया है।
- (छ) **अप्रतिदाय शुल्क** के रूप में वेतन एवं लेखा अधिकारी दीपम के पक्ष में आहरित नई दिल्ली में देय **एक लाख रुपये** बैंक पे आर्डर/डिजिटल भुगतान (इंटर-बैंक आरटीजीएस कोड आर-42 का उपयोग करते हुए सरकारी खाता सं. 34663044146 , आईएफएससी: एसबीआईएन 0000625, एसबीआई, केन्द्रीय सचिवालय शाखा , नई दिल्ली में सीधे जमा किया जाए)। डिजीटल भुगतान के मामले में उसका प्रमाण संलग्न किया जाए।
- (ज) इस आशय का प्रमाण-पत्र कि **10,00,000 रुपये (मात्र दस लाख रुपये) की कार्यनिष्पादन गारंटी** प्रस्तुत की जाएगी जो नियुक्ति पत्र की तारीख से **2 वर्ष** की अवधि के लिए वैध होगी।
- (झ) इस आशय का प्रमाण-पत्र कि कार्यनिष्पादन गारंटी को उस दशा में एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा, यदि सौदा 2 वर्ष की अवधि के अंदर संपन्न न किया जा सके।

(ii) **लिफाफा 2 (सीलबंद) में निम्नलिखित शामिल हैं :**

- (i) सभी अनुसूचियों, प्रमाण-पत्रों और अनुबंधों सहित तकनीकी बोली, जिन्हें विधिवत रूप से भरा गया हो , पृष्ठ सं. अंकित की गई हो और बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो।

(ii) **अनुबंध-4** में दिए गए प्रारूप में शर्तरहित बोली से संबंधित प्रमाण-पत्र।

**(iii) लिफाफा 3 (सीलबंद):**

वित्तीय बोली, **अनुबंध-5** में दिए गए प्रारूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

टिप्पणी :

1. सशर्त बोलियां सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दी जाएंगी।
2. केवल उन्हीं पार्टियों की वित्तीय बोली खोली जाएगी जिन्होंने तकनीकी मूल्यांकन में अर्हता प्राप्त कर ली हो।

6.2 रुचि की अभिव्यक्ति **श्री प्रिय रंजन , अवर सचिव, दीपम, वित्त मंत्रालय, कक्ष सं. 203 , दूसरा तल, ब्लॉक नं. 11 , सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003** के पास दिनांक **29.01.2018** को **1500 बजे** तक भेज दी जानी चाहिए। रुचि की अभिव्यक्ति केवल पठनीय प्रतियों में भेजनी अनिवार्य है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त रुचि की अभिव्यक्ति सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दी जाएगी। किसी स्पष्टीकरण या ब्यौरे हेतु पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त अधिकारी को टेलीफोन नं. 011-24368736, फैक्स सं. 24368502, ई-मेल priya.ranjan@nic.in पर संपर्क करें।

6.3 रुचि की अभिव्यक्तियों को **29.01.2018** को **1530** बजे निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के कमेटी कक्ष (कमरा सं. 515 , पांचवा तल, ब्लॉक सं. 14 , सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003) में निविदा खोलने वाली समिति के द्वारा बोलीदाताओं की मौजूदगी में खोला जाएगा।

6.4 सरकार के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह इस प्रकार प्राप्त किसी प्रस्ताव या सभी प्रस्तावों को बिना कोई कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

6.5 केवल उन पार्टियों की ही वित्तीय बोली खोली जाएगी जो तकनीकी मूल्यांकन में अर्हता प्राप्त कर लें।

**7. तकनीकी बोली का प्रारूप**

**खंड (क) विलय/अधिग्रहण सहित भारत में सामरिक बिक्री का अनुभव (महत्व 15/100)**

- संचालित सौदे की प्रकृति और किस पक्ष का प्रतिनिधित्व किया गया - क्रेता का या विक्रेता का
- सौदा सरकारी था या अर्ध-सरकारी था या निजी क्षेत्र का था
- सौदे में निभाई गई भूमिका
- सौदे में अनुभव की गई जटिलताएं
- सौदे में किया गया नवोन्वेषी कार्य

**खंड (ख) विलय/अधिग्रहण सहित भारत के बाहर सामरिक बिक्री का अनुभव (महत्व 5/100)**

- संचालित किए गए समग्र सौदे

- इसी प्रकार के क्षेत्र में सौदा

**खंड (ग) क्षेत्र विशेषज्ञता और कंपनी की समझ (महत्व 15/100)**

- प्रासंगिक क्षेत्र में किए गए कार्य दर्शाएं - जैसेकि किया गया अध्ययन या अनुसंधान।
- क्षेत्र में अपनी सुदृढ़ता/विशेषज्ञता, यदि कोई हो, दर्शाएं, ।
- कंपनी की समझ।

**खंड (घ) पूंजी बाजार का अनुभव (महत्व 5/100)**

- भारतीय पूंजी बाजार की समग्र समझ।
- पूंजी बाजार के संबंध में किया गया कार्य।
- क्या पूंजी बाजार का अनुभव मौजूदा मामले में प्रासंगिक है। यदि हां , तो बताएं कैसे और यह भी दर्शाएं कि पूंजी बाजार से संबंधित मामलों को कैसे हल किया जाएगा।

**खंड (ङ.) स्थानीय उपस्थिति (महत्व 5/100)**

- भारत के प्रति प्रतिबद्धता; लगाई गई निधियां; संचालन की अवधि
- मानव शक्ति
- कार्यालय तथा अन्य मूलभूत सुविधा
- कार्यदल
- कार्यदल में से किसने उपर्युक्त 7.1 (क) में उल्लिखित सौदे निष्पादित किए हैं।

**खंड (च) मूल्यांकन पद्धति (महत्व 15/100)**

- मूल्यांकन पद्धतियों की समझ
- मौजूदा सौदे में सबसे अधिक उपयुक्त पद्धति का कारण सहित सुझाव।

**खंड (छ) विपणन सुदृढ़ता (महत्व 10/100)**

- विपणन सुदृढ़ता दर्शाएं
- इस सुदृढ़ता से मौजूदा मामले में कैसे सहायता मिलेगी
- मौजूदा मामले के लिए प्रस्तावित रणनीति

**खंड (ज) सौदा संरचना (महत्व 15/100)**

- प्रस्तावित संरचना
- प्रस्तावित संरचना के लाभ
- प्रदायगी
- प्रस्तावित संरचना में सुदृढ़ता

**खंड (झ) डील टीम मानव शक्ति की प्रतिबद्धता (महत्व 15/100)**

- मुख्य टीम जो प्रस्तावित सौदे को संचालित करेगी।
- अप्रत्यक्ष सहयोग देने वाले अन्य पेशेवरों का विवरण।

**टिप्पणी :** इस संबंध में एक वचनबद्धता भी दी जाए कि यदि प्रक्रिया के दौरान मुख्य टीम का कोई भी सदस्य, त्याग पत्र देने, अवकाश आदि के कारण उपलब्ध नहीं रहता है, तो सरकार की सहमति से समान योग्यता और अनुभव वाला दूसरा व्यक्ति उपलब्ध कराया जाएगा।

## **8. बोली का मूल्यांकन**

8.1 संक्षिप्त सूचीबद्ध बोलीदाताओं को अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन एक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से, अन्तर-मंत्रालय समूह के समक्ष करना होगा जिसमें ऊपर सूचीबद्ध क्षेत्र /मापदंड शामिल होंगे और उन्हें प्रस्तुतीकरण की 15 प्रतियां प्रस्तुतीकरण के समय लेकर आनी होंगी। **प्रस्तुतीकरण की तारीख, समय और स्थान की जानकारी उचित समय पर दे दी जाएगी।**

8.2 बोलीदाताओं का मूल्यांकन उनके द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण तथा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर ऊपर पैरा 7 में दिए गए मानदंडों के आधार पर, अंतर-मंत्रालय समूह द्वारा किया जाएगा तथा उनकी वित्तीय बोली खोलने के लिए उन्हें संक्षिप्त सूचीबद्ध किया जाएगा। केवल उन्हीं पार्टियों को तकनीकी रूप से संक्षिप्त सूचीबद्ध किया जाएगा जिन्होंने 100 में से पूर्वनिर्धारित अंक, जिसकी घोषणा प्रस्तुतीकरण से पहले कर दी जाएगी, प्राप्त किए हों।

8.3 बोलीदाताओं को, उनके द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण के आधार पर संक्षिप्त सूचीबद्ध करने के पश्चात, अंतर-मंत्रालय समूह द्वारा केवल संक्षिप्त सूचीबद्ध बोलीदाताओं की वित्तीय बोली खोली जाएगी। संक्षिप्त सूचीबद्ध बोलीदाता, यदि वे इच्छुक हों तो, वित्तीय बोली खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं। वित्तीय बोली खोलने से पूर्व, संक्षिप्त सूचीबद्ध बोलीदाताओं द्वारा प्राप्त अंकों की घोषणा की जाएगी।

8.4 तकनीकी मूल्यांकन में संक्षिप्त सूचीबद्ध बोलीदाताओं द्वारा प्राप्त अंकों को 70 अंक की महत्ता (weightage) दी जाएगी। इसी प्रकार, संक्षिप्त सूचीबद्ध बोलीदाताओं की वित्तीय बोली को 30 अंक की महत्ता दी जाएगी। तकनीकी एवं वित्तीय बोली के संयुक्त अंक एच 1, एच 2 तथा एच 3 एवं अन्य का निर्धारण करेंगे।

8.5 उपरोक्त सिद्धान्तों के आधार पर सर्वाधिक अंक/प्वाइंट प्राप्त करने वाली पार्टी (एच1) को सौदे हेतु नियुक्त किया जाएगा।

8.6 संघ बोली की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8.7 काम को शिकमी ठेके पर दिए जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियुक्त सलाहकार अंतिम रूप से अपेक्षित सभी प्रदायगियों के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

## **9. वित्तीय बोली हेतु अपेक्षाएं**

9.1 बोलीदाता को सौदे हेतु अपना शुल्क विनिवेश से प्राप्त धनराशि अर्थात् सरकार के बैंक खाते में प्राप्त धनराशि के प्रतिशत के रूप में उद्धृत करना होगा। उद्धृत शुल्क दशमलव के बाद चार अंकों तक सीमित रहना चाहिए। बोलीदाता द्वारा उद्धृत फीस में, सभी लागू कर, उपकर, शुल्क



आदि सम्मिलित होने चाहिए। शुल्क का भुगतान सौदे की सफल समाप्ति के बाद पर भारतीय रुपये में किया जाएगा।

9.2 बोलीदाता द्वारा उद्धृत शुल्क सौदे की सफल समाप्ति तक नियत रहेगा।

9.3 उद्धृत फीस बिना किसी शर्त के होनी चाहिए। यात्रा संबंधी व्यय और उचित उद्यमिता से संबंधित व्यय सहित सभी व्यय का वहन सलाहकार द्वारा किया जाएगा।

9.4 भारत सरकार द्वारा नियुक्त किसी विधिक /लेखांकन या किसी अन्य परामर्शदाता को दिए जाने वाला शुल्क वित्तीय बोली में शामिल नहीं होगा। सरकार तथा **डीसीआईएल** के कर्मचारियों की यात्रा से संबंधित व्यय का वहन भारत सरकार/**डीसीआईएल** द्वारा किया जाएगा।

9.5 सौदे को स्थगित किए जाने की दशा में नियुक्त सलाहकार को ड्राप डेड शुल्क के तौर पर **10,00,000 रुपये (मात्र दस लाख रुपये)** का भुगतान किया जाएगा। ड्राप डेड शुल्क का भुगतान निम्न प्रकार किया जाएगा :

- (क) 10% का भुगतान उस दशा में किया जाएगा जब सौदे को संभावित क्रेताओं से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने के लिए आरएफपी जारी करने से पहले स्थगित कर दिया जाए।
- (ख) 50% का भुगतान उस दशा में किया जाएगा जब डाटा कक्ष स्थापित करने और संभावित खरीदारों द्वारा उचित उद्यमिता संपन्न कर लेने के बाद सौदे को स्थगित कर दिया जाए।
- (ग) 100% का भुगतान उस दशा में किया जाएगा जब उन दस्तावेजों, जिनके आधार पर वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जानी हों, पर सरकार द्वारा रोक लगाए जाने के बाद सौदे को स्थगित कर दिया जाए।

9.6 सभी बोलीदाता, प्रचलित विधि के अनुसार करों/शुल्कों/उपकरणों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे ।

9.7 बोलीदाता को भुगतान की व्यवस्था करने के लिए उपयुक्त समय पर पैरा 9.1 या 9.5 के अनुसार बिल दीपम को प्रस्तुत करना होगा।

## 10. अनुबंध संबंधी करार

बोलीदाता को दीपम के साथ **अनुबंध -2** पर संलग्न करार के मॉडल प्रपत्र के मापदंडों के अनुसार गैर-न्यायिक स्टॉम्प पेपर पर दीपम के साथ अनुबंध संबंधी करार संपन्न करना होगा।

## 11. प्राख्यापन

- (क) भारत सरकार के पास इस प्रकार प्राप्त किसी या सभी आवेदनों को स्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अनन्य अधिकार सुरक्षित है।
- (ख) विभाग आवेदन के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण के कारण प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण में किसी विलम्ब के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। विलम्ब से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

12. विवाद

विवाद के मामले में सचिव, दीपम का निर्णय अंतिम होगा।

13. न्यायिक क्षेत्राधिकार

न्यायिक क्षेत्राधिकार केवल नई दिल्ली होगा।

\*\*\*\*\*

अनुबंध I और II हेतु कृपया अंग्रेजी संस्करण का संदर्भ लें।

**डील टीम हेतु प्रारूप**

प्रमाणित किया जाता है कि डील टीम में निम्नलिखित शामिल होंगे :

क्र.सं.	नाम	किस क्षेत्र में विशेषज्ञता	योग्यता	अनुभव	अभ्युक्ति
1.	श्री/सुश्री	सामरिक विनिवेश			
2.	श्री/सुश्री	मूल्यांकन			
3.	श्री/सुश्री	सामरिक विनिवेश के दस्तावेजों की तैयारी			
4.	श्री/सुश्री				

मोहर सहित बोलीदाता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

**बोलीदाता के लैटरहेड पर शर्त रहित बोली का प्रारूप**

यह प्रमाणित किया जाता है कि ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. के सामरिक विनिवेश के लिए सलाहकार के रूप में नियुक्ति के लिए हमारे द्वारा उद्धृत शुल्क, दीपम की वेब साइट पर दर्शाए गए, प्रस्तावों हेतु अनुरोध, में निर्धारित निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार है और शर्तरहित है।

मोहर सहित मर्चेट बैंकर के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

बोलीदाता के लैटरहेड पर वित्तीय बोली का प्रारूप

क्र. सं.	कार्य का वर्णन	प्रतिशत में शुल्क
1.	विनिवेश अर्थागम, जो भारत सरकार के बैंक खाते में अंतरित हुआ हो, के प्रतिशत के रूप में शुल्क	(अंकों और शब्दों में)

**टिप्पणी :**

- 1) उद्धृत शुल्क में अंकों और शब्दों में किसी भिन्नता के मामले में शब्दों में दी गई संख्या को सभी प्रयोजनों हेतु सही माना जाएगा।
- 2) चूंकि, बोली में सभी कर शामिल हैं इसलिए कर की कोई अतिरिक्त देयता , जो केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा कर दर में किसी परिवर्तन या अतिरिक्त करों के आधार पर उत्पन्न हो सकती है, का उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा।

मोहर सहित बोलीदाता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर